POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 16.12.2024

1. थाना फेस-3 पुलिस व सीआरटी टीम द्वारा गांजा/चरस की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश करते हुए महिला अभियुक्ता सहित 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 30 किलोग्राम शिलांग गांजा, 236 ग्राम चरस व तस्करी में प्रयुक्त क्रेटा कार बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **16.12.2024** को **थाना फेस-3** व सीआरटी टीम द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये गांजा/चरस की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गैंग के महिला अभियुक्ता सहित 05 अभियुक्तों 1. बिन्टू उर्फ कालू पुत्र गंगासिंह 2. सतेन्द्र शर्मा पुत्र नरेश शर्मा 3.संदीप कुमार पुत्र राजू ठाकुर 4. आशिफ जमाल पुत्र सराजुद्दीन अहमद 5. काजल कुमारी पुत्री सुधीर राम को सैक्टर 71 डम्पिंग ग्राउण्ड से **गिरफ्तार** किया गया है। कब्जे से 30 किलोग्राम शिलांग गांजा, 236 ग्राम चरस व तस्करी में प्रयुक्त क्रेटा कार बरामद। उपरोक्त माल की कीमत अंतराष्ट्रीय बाजार में लगभग 50 हजार प्रति किलोग्राम है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तगण शिलांग से गांजा व चरस लाकर एनसीआर क्षेत्र में आनलाईन अवैध नशे का धंधा करते है। बिट्टू उक्त गैंग का सरगना है तथा अपने व्हाटसएप नं0 व क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेण्ट लेता है तथा कोरियर के माध्यम से गांजा व चरस सप्लाई करते है। अभियुक्तों द्वारा सैकडो लोगो को गांजा व चरस बेचा गया है तथा अभियुक्तों द्वारा इस अवैध काम से लाखो रूपये अर्जित किये है। अभियुक्तगण अपने साथ गाडी में एक लडकी/अभियुक्ता काजल को साथ रखते है ताकि किसी को इन पर शक न हो,अभियुक्त बिन्टू उर्फ कालू स्वयं शिलांग जाकर सैम्पल पास करके आता था उसके बाद अभियुक्ता काजल तथा अन्य लोगो के माध्यम से ग्राहक तलाश कर कालेज व स्कूलो के आस पास ऑनलाइन सम्पर्क कर गांजा/चरस बेचते थे। अभियुक्तगण पहले अपने ठिकाने पर गांजा बेचते थे। पुलिस से पकडे जाने के डर से एनसीआर क्षेत्र में ऑनलाइन गांजा/चरस बेचने का काम करने लगे। अभियुक्तों द्वारा पेमेण्ट ऑनलाइन प्राप्त होने पर गांजा व चरस सम्बन्धित व्यक्ति को कोरियर द्वारा उनके पते पर भिजवा दिया जाता था। यह कार्य इनके द्वारा पिछले 5 वर्षो से किया जा रहा है। यह कार्य आनलाईन पार्सल व कोरियर के माध्यम से किया जा रहा था ताकि पुलिस व नारकोटिक्स विभाग से बचा जा सके। अभियुक्त संदीप द्वारा कोरियर का काम करके ग्राहक की तलाश की जाती है और काजल द्वारा लडकियो में कोरियर का काम कर

ग्राहको की तलाश की जाती है। आसिफ व सतेन्द्र द्वारा बिन्टू उर्फ कालू के यहाँ वाहन चालक के रूप में कार्य करते हुए उपरोक्त अपराध कारित किया जाता है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. बिन्टू उर्फ कालू पुत्र गंगासिंह निवासी डिबाई थाना डिबाई जिला बुलन्दशहर हाल पता सदरपुर कालोनी गली नं0 8 सेक्टर 45 थाना सेक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र 33 वर्ष
2. सतेन्द्र शर्मा पुत्र नरेश शर्मा नि0 पिथौरी थाना अकबरपुर जिला नवादा बिहार हाल पता सदरपुर कालोनी गली नं0 3 सेक्टर 45 थाना सेक्टर-39 नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र 39 वर्ष
3. संदीप कुमार पुत्र राजू ठाकुर निवासी बरौली थाना बरौली जिला गोपालगंज बिहार हाल पता सदरपुर कालोनी रॉयल टावर रूम नं0 26 सेक्टर-45 थाना सेक्टर-39 नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र 32 वर्ष
4. आशिफ जमाल पुत्र सराजुद्धीन अहमद निवासी बरौली थाना बरौली जिला गोपालगंज बिहार हाल पता सदरपुर कालोनी रॉयल टावर रूम नं0 26 सेक्टर 45 थाना सेक्टर-39 नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र 24 वर्ष
5. काजल कुमारी पुत्री सुधीर राम निवासी सहासितापुर थाना अटमलगोला जिला पटना बिहार हाल पता साधना एन्कलेव गली नं0 01 खोडा कालोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु.अ.स. 134/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-113 (बिन्टू उर्फ कालू)
2. मु.अ.स. 594/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बीटा-2 (बिन्टू उर्फ कालू)
3. मु.अ.स. 214/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नरसेना जनपद बुलन्दशहर (बिन्टू उर्फ कालू)
4. मु.अ.स. 430/24 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट थाना फेस 3 (बिन्टू उर्फ कालू , सतेन्द्र शर्मा , संदीप कुमार , आशिफ जमाल, काजल कुमारी)

बरामदगी का विवरण--

1. 30 किलोग्राम शिलांग गांजा, उपरोक्त माल की कीमत अंतराष्ट्रीय बाजार में लगभग 50 हजार प्रति किलोग्राम है।
2. 236 ग्राम चरस
3. तस्करी में प्रयुक्त क्रेटा कार बरामद।

2. थाना बिसरख पुलिस द्वारा 05 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र व एक स्कूटी एवं एक मोटर साइकिल बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 15.12.2024 को रात्रि में साई गार्डन शाहबेरी में 5-6 व्यक्तियों के द्वारा वादी के घर में घुसकर, गाली गलौच, तोडफोड कर फायरिंग की गई, जिसके सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर पर थाना बिसरख पर मु0अ0सं0-910/2024 धारा-191(2),191(3),352,351(2),333,324(4) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **16.12.2024** को **थाना बिसरख** पुलिस द्वारा कामाख्या बिला के पास खण्डर बिल्डिंग शाहबेरी से घटना के 24 घण्टे के अन्तराल पर घटना का अनावरण करते हुये घटना में शामिल 05 अभियुक्त 1.गौरव पुत्र कृष्णपाल 2. वंश उर्फ विकास 3. रोहित उर्फ कन्नू पुत्र महिपाल सिंह 4. दक्ष शर्मा पुत्र मनोज शर्मा 5. दिलशाद पुत्र सलीम को घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र व एक स्कूटी एवं एक मोटर साइकिल के साथ **गिरफ्तार** किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. गौरव पुत्र कृष्णपाल नि0 म0न0 411 कृष्णानगर बागू थाना विजयनगर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष
2. वंश उर्फ विकास पुत्र मोहनलाल नि0 कृष्णानगर बागू थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष
3. रोहित उर्फ कन्नू पुत्र महिपाल सिंह नि0 गली नम्बर 23 सर्वोदय नगर थाना क्रासिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष
4. दक्ष शर्मा पुत्र मनोज शर्मा नि0 म0न0 203 नियर कमला हाल शान्ति नगर थाना क्रासिंग रिपब्लिक जिला गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष
5. दिलशाद पुत्र सलीम नि0 म0न0 815 लालक्र्वाटर थाना क्रासिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण--

1. 02 अवैध तंमचे, 02 जिन्दा कारतूस, 02 खोखा कारतूस .315 बोर (घटना में प्रयुक्त)
2. 02 अवैध चाकू (घटना में प्रयुक्त)
3. एक स्कूटी एक्टिवा रजि0न0 यूपी 14 ईवी 9756 (घटना में प्रयुक्त)
4. एक मोटर साइकिल स्पलेन्डर रजि0न0 यूपी 14 ईएच 1335 (घटना में प्रयुक्त)

3. थाना फेस- 2 नोएडा पुलिस द्वारा एनसीआर क्षेत्र में घूमफिरकर विभिन्न दुकानो पर फर्जी फोनपे एप से फर्जी पेमेन्ट दिखाकर सामान खरीदने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटनाओं में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन कम्पनी टेक्नोस्पार्क बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिंनाक **16-12-2024** को **थाना फेस-2** पुलिस द्वारा लगातार एनसीआर क्षेत्र में दुकानदारों से सामान खरीद कर फर्जी फोनपे एप के माध्यम से भुगतान करने वाले गिरोह के एक अभियुक्त आर्यन पुत्र सतीश चन्द्र को ग्राम गेझा अंग्रेजी शराब की दुकान, सेक्टर-93, नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है। जिसके कब्जे से फर्जी पेमेन्ट कर खरीदी गई 02 बोतल अग्रेजी शराब(बेगपाइपर) व 01 मोबाइल जिससें फर्जी फोनपे ऐप इन्सटाल है, जिससे नोएडा के दुकानदारों से ठगी करता था, बरामद किया गया।

अपराध का तरीका/घटना का विवरण--

अभियुक्त आर्यन द्वारा एनसीआर क्षेत्र में घूमफिरकर दुकानदारो के पास जाकर दुकानदारो से सामान खरीदकर अपने मोबाइल में इस्टाल फर्जी फोनपे ऐप के माध्यम से दुकानदारो को भ्रमित व उनके साथ पैसो की धोखाधड़ी कर फर्जी पेमेन्ट दिखाकर सामान लेकर चला जाता था लेकिन दुकानदारो के एकाउन्ट में कोई भी पैसा नही पहुंचता था।

1. अभियुक्त आर्यन द्वारा फर्जी फोन पे ऐप के माध्यम से एनसीआर क्षेत्र के दुकानदारों व रेहड़ी पटरी वालों को शिकार बनाया गया ।
2. अभियुक्त आर्यन द्वारा अब तक फर्जी फोन पे ऐप के माध्यम से धोखाधडी कर एनसीआर क्षेत्र में लगभग 01-02 लाख रूपये की फर्जी पेमेन्ट कर सामान खरीदा गया तथा खऱीदा गया सामान(शराब,सिगरेट,बीड़ी,गुटखा आदि) को मौज मस्ती में प्रयोग किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. आर्यन पुत्र सतीश चन्द्र निवासी ग्राम चिपियाना थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 18 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0स0 612/2024 धारा 317(2), 318(4)बीएनएस थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. 02 बोतल अग्रेजी शराब(बेगपाइपर)
2. 01 मोबाइल कम्पनी टेक्नोस्पार्क घटना में प्रयुक्त।